रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 226] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 1976/आषाढ़ 14, 1898

No. 226] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 1976/ASADHA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)
(Company. Law Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July 1976

G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972, the Company Law Board, being of the opinion that consultation with the Institute of Chartered Accountants of India as required under the proviso to the said sub-section (4A) is not necessary or expedient in the circumstances of the case, hereby makes the following Order to amend the Manufacturing and Other Companies (Auditor's Report) Order, 1975, namely:—

1. (1) This Order may be called the Manufacturing and Other Companies (Auditor's Report) Amendment Order, 1976.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1976.

2. In paragraph 1 of the Manufacturing and Other Companies (Auditor's Report)

Order, 1975, to sub-paragraph (2), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that nothing in this Order shall apply to a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)."

[No. 52/4/68-CL.II]

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Manufacturing and Other Companies (Auditor's Report) Order, 1975, came into force with effect from the 1st of January, 1976. The Order was made applicable to every company carrying on certain activities mentioned in the Order. The intention was not to make it applicable to banking companies, but a doubt has been felt whether the Order applies to banking companies in view of the definition of 'finance' companies contained in Para 2(b) of the Order. It is, therefore, proposed to make it clear that the Order does not apply to banking companies. As the principal Order was brought into force with effect from the 1st of January, 1976, the amendment is also proposed to be brought into force from that date retrospectively. It is certified that no one will be adversely affected by the retrospective operation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 440 (अ).—भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443 (अ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (4क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड यह राय होने पर कि उक्त उपधारा (4क) के परन्तुक के अन्तर्गत यथा अपेक्षित भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान से परामर्श करना मामले की परिस्थितियों में आवश्यक या समीचीन नहीं है, निर्माता और अन्य कम्पनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 1975 में संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश का नाम निर्माता और अन्य कम्पनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) संशोधन आदेश 1975 है।

(2) यह 1 जनवरी, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. निर्माता और अन्य कम्पनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 1975 के पैरा 1 के उप पैरा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस आदेश की कोई बात बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी पर लागू नहीं होगी।"

[संख्या 52/4/68-सी एल 2]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

विनिर्माता और अन्य कम्पनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 1975, 1 जनवरी, 1976 से प्रवृत्त हुआ था यह आदेश, आदेश में उल्लिखित कतिपय क्रियाकलापों में संलग्न प्रत्येक कम्पनी पर लागू किया गया था। इसका बैंकिंग कम्पनियों पर लागू करने का आशय नहीं था किन्तु संदेह प्रतीत हुआ है कि क्या आदेश, आदेश के पैरा 2 (ख) में उल्लिखित "वित्तीय" कम्पनियों की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग कम्पनियों पर भी लागू किया जाए। इसलिए इसको स्पष्ट करने का प्रस्ताव रखा गया कि आदेश बैंकिंग कम्पनियों पर लागू नहीं होता। जैसा कि मूल आदेश 1 जनवरी, 1976 से प्रवृत्त हुआ था, इसलिए संशोधन को भी पूर्व तारीख से प्रवृत्त करने का प्रस्ताव है। यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व तारीख से लागू करने से किसी पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पी० बी० मेनन,
सदस्य, कम्पनी विधि बोर्ड।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st *July* 1976

G.S.R. 441(E).—In Paragraph 1, sub-paragraph (2), clause (c) of The Manufacturing and Other Companies (Author's Report) Order, 1975, published *vide* Notification No. G.S.R. 553(E) in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 10th November, 1975,

for the word "training" *read* as "trading".

[No. 52/4/68-CL.II]

P. B. MENON,
Member, Company Law Board.

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976